<u>कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर</u>

क्रमांकः प.–भूप्रआ/समु/आरआर./11/2/4/09–10/ दिनांकः

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
कोटा ।

विषयः– तहसील किशनगंज ,जिला बारां के 5 ग्रामों की बन्द अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत ।

प्रसग :– राजस्व ग्रुप–1 विभाग का पत्रांक प.13(5)राज–1/2008 व प. 13(16)राज–1/2011 दिनांक 08.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील किशनगंज जिला बारां के 5 ग्रामों के बन्द की अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 अन्तर्गत धारा 106,107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां सलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवावें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

ह०
(महेन्द्र कुमार पारख)
अति0भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 595 दिनांकः– 1.4.19

प्रतिलिपिः– संबंधित सूचना सहायक श्री राहुल मीणा ,मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की एक–एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यावास राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(16)राज.–1/2011 जयपुर, दिनांक 08/03/2019

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना कमांकः क्रमशः प0 13(15)राज./ग्रुप–1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 29.06.2010 व प0 13(16)राज./ग्रुप–1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 193 ग्राम बंद घोषित हो चुके है। शेष ग्रामों में से 05 ग्राम यथा लक्ष्मीपुरा, राधापुरा, झाणी, रामगंज उर्फ नयागांव व असनावर का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त ग्रामों में सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0

(विष्णु कुमार गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

193

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/04/2009–10/274 दिनांक 15.02.2019।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/80
1/4/2019

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांक : प0 13(5)राज.–1/2008 जयपुर, दिनांक 08/03/2019

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील किश्नगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों के अभिलेखो का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना कमांकः कमशः प0 13(15)राज./ग्रुप–1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 29.06.2010 व प0 13(16)राज./ग्रुप–1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ करवाया जाकर निर्दिष्ट संकियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 193 ग्राम बंद घोषित हो चुके है। शेष ग्रामों में से **05 ग्राम यथा लक्ष्मीपुरा, राधापुरा, ढाणी, रामगंज उर्फ नयागांव व असनावर** का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण होने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 05 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

R.R. 3 29-3-19

क्रमांक 194

राज्यपाल की आज्ञा से

(विष्णु कुमार गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/04/2009–10/274 दिनांक 15.02.2019।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

RR(8) 11/3/2019

संयुक्त शासन सचिव